न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0, बिधूना, औरैया।

उमेश कुमार गुप्ता बनाम अशोक कुमार गुप्ता आदि

CNR No.UPAU120006762023

एफ.आर. संख्या–22/2023

अपराध संख्या–213/2022

धारा 419,420,467,468,471,120बी भा0दं0सं0

थाना ऐरवाकटरा, जिला औरैया।

दिनांक : 13.06.2023

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। पुकार करायी गयी। सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को अन्तिम आख्या एवं प्रोटेस्ट पिटीशन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र वास्ते अन्तिम रिपोर्ट के विरुद्ध याचिका पर सुना गया।

विवेचक द्वारा मु0अ0सं0 213/2022 अन्तर्गत धारा 419,420,467,468,471,120बी भा0दं0सं0 थाना ऐरवाकटरा में अन्तिम रिपोर्ट संख्या 039/2022 प्रेषित की गयी। अन्तिम रिपोर्ट के अनुसार अभियोग की तमामी विवेचना से अशोक कुमार गुप्ता द्वारा उमेश कुमार गुप्ता को मुख्तारनामा का रजिस्ट्रेशन उपनिबंन्धक कार्यालय बिधूना में दिनांक 14.04.2014 को किया था, लेकिन पेट्रोल पम्प के संचालन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी दिनांक 01.04.2014 को उमेश कुमार गुप्ता के नाम सादा स्टाम्प पेपर पर लिखित रुप से दे दिया था तथा दिनांक 05.02.2023 को मख्तारनामा समाप्त करने हेतु व पेट्रोल पम्प के संचालन की जिम्मेदारी अपनी पत्नी श्रीमती साधना गुप्ता के नाम अशोक कुमार गुप्ता द्वारा किया गया था। जिसके रजिस्ट्रेशन दिनांक 31.03.2022 को हुआ है। मुख्तारनामा के समाप्त करने हेतु शाखा प्रबन्धक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, ऐरवाकटरा को दिनांक 05.02.2022 को अशोक कुमार गुप्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिसमें उमेश कुमार गुप्ता का मुख्तयारनामा निरस्त करने का जिक्र किया गया था, के उपरान्त दिनांक 14.02.2022 को वादी मुकदमा द्वारा अशोक कुमार गुप्ता (जो मुख्तारनामा निरस्तीकरण तथा अशोक कुमार गुप्ता द्वारा अपनी पत्नी साधना गुप्ता को मुख्तयारनामा किया गया, उसमें अशोक कुमार गुप्ता गवाह है) को जरिये व्हाट्सएप मैसिज किया गया कि भाई साहब के एकाउन्ट में 11 लाख रुपये हैं, कम्पनी में 9 लाख 70 हजार रुपये का आर0टी0जी0एस0 कर दें, तो अशोक गुप्ता द्वारा वी0पी0सी0एल0 कम्पनी के खाता संख्या 2269700014 में दस लाख रुपये ट्रान्सफर कर दिये। इसके उपरान्त दिनांक 28.02.2022 को राजीव कुमार गुप्ता ने अपनी पत्नी ज्योति गुप्ता के खाते से पम्प के एकाउन्ट में खाता संख्या 59116232661 से 15,00,000/–रुपये ट्रान्सफर किये। तत्पश्चात् 10 लाख 60 हजार रुपये वी0पी0सी0एल0 कम्पनी के खाते में भेजे हैं तथा खाता संख्या 2269700014 से किया गया लेन–देन के स्टेटमेण्ट के अवलोकन से नामित व्यक्तियों अशोक कुमार गुप्ता, श्रीमती साधना गुप्ता, सतीशचन्द्र गोयल, राजीव कुमार व दीपेन्द्र शाखा प्रबन्धक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, ऐरवाकटरा द्वारा किया गया लेन–देन वादी मुकदमा के मैसेज प्राप्त होने तथा राजीव कुमार गुप्ता उपरोक्त द्वारा अपनी पत्नी ज्योति गुप्ता के खाते से वी0पी0सी0एल0 कम्पनी के खाते में पैसा जमा करने के उपरान्त ही ट्रान्सफर किया गया है। अतः जो भी पैसे का आदान–प्रदान हुआ है, वह समस्त प्रपत्रों के अवलोकन से वैध प्रतीत होता है तथा न ही किसी भी प्रपत्र में हैराफेरी की गयी है। जिससे मुकदमा उपरोक्त में किसी अपराध का होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः साक्ष्य के अभाव में मुकदमा उपरोक्त की विवेचा जरिये अन्तिम रिपोर्ट संख्या 39/2022 दिनांक 23.11.2022 को समाप्त की जाती है।

सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रोटेस्ट पिटीशन प्रार्थना पत्र का0सं0 10ख प्रस्तुत कर कथन किया है कि उपरोक्त प्रकरण आवेदक द्वारा पुलिस अधीक्षक, औरैया को अभियुक्तगण अशोक कुमार गुप्ता, श्रीमती साधना गुप्ता, सतीशचन्द्र गोयल, राजीव कुमार गुप्ता व दीपेन्द्र के विरुद्ध योजित किया था। अभियुक्त अशोक कुमार गुप्ता फर्म सत्य फिलिंग स्टेशन ऐरवाकटरा, जनपद औरैया के स्वामी

है, जिनके द्वारा बजरिये पंजीकृत मुख्तारनामा दिनांक 15.04.2014 को उक्त फर्म के संचालन सम्बन्धित सम्पूर्ण अधिकार प्रार्थी को सौंप दिये थे। जिसके फलस्वरुप ही प्रार्थी ने संचालन हेतु लगी सम्पूर्ण पूंजी अपनी व अपनी पत्नी शशिवाला गुप्ता पुत्र अंकित गुप्ता व पुत्री तान्या गुप्ता से भिन्न–भिन्न धनराशियों की चैकें एवं आरटीजीएस के माध्यम से ही जमा कराकर उक्त फर्म का संचालन करता रहा, परन्तु दिनांक 25.02.2022 को कर्मचारी पूर्व की भांति फर्म के कार्य हेतु सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा ऐरवाकटरा गया, तो उसे यह अवगत कराया गया कि उपरोक्त मुख्तारनामा अभियुक्त अशोक कुमार गुप्ता द्वारा निरस्त कर दिया गया है तथा प्रार्थी को लेन–देन से रोक दिया गया है। इस सूचना पर प्रार्थी द्वारा बैंक के कर्मचारियों तथा शाखा प्रबंधक से इस सम्बन्ध में भरसक प्रयास किया गया कि किस आधार पर मुख्तारनामा को निरस्त किया गया गया। लेकिन बैंक द्वारा कोई भी कारण व प्रपत्र उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, क्योंकि अशोक कुमार गुप्ता द्वारा कभी फर्म के संचालन को लेकर किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रार्थी से प्रकट नहीं की गयी थी, न ही कोई पंजीकृत खण्डन किया गया। प्रार्थी द्वारा जानकारी प्राप्त होने पर यह ज्ञात हुआ कि दिनांक 31.03.2022 को अभियुक्त अशोक कुमार गुप्ता ने अपनी पत्नी साधना गुप्ता के अलावा सतीशचन्द्र गोयल व राजीव कुमार गुप्ता के सहयोग से षडयंत्र के तहत बेईमानी की नियत से मिथ्या व मनगढंत कथनों के आधार पर प्रार्थी के हक में निर्गत पंजीकृत मुख्तारनामा दिनांक 15.04.2014 बिना विधिक प्रक्रिया के निरस्त करते हुए दिनांक 31.03.2022 में एक अन्य मुख्तारनामा आम उपरोक्त फर्मा के सम्बन्ध में अपनी पत्नी साधना गुप्ता के नाम निष्पादित कर दिया। जिसका एक मात्र आशय अभियुक्तगण अशोक कुमार गुप्ता, श्रीमती साधना गुप्ता, सतीशचन्द्र गोयल, राजीव कुमार गुप्ता द्वारा बेईमानीपूर्ण मंशा को फलीभूत करने में अभियुक्त दीपेन्द्र शाखा प्रबन्धक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, ऐरवाकटरा द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया, क्योंकि अभियुक्ता साधना गुप्ता द्वारा बिना किसी विधिक हक व अधिकार के बैंक खाता नम्बर 2269700014 का संचालन करते हुए दिनांक 14.002.2022 में 10,00,000/–रुपये व दिनांक 28.02.2022 में 10,60,000/–रुपये की धनराशि स्थानान्तरित की गयी, जबकि मेरा मुख्तारनामा दिनांक 31.03.2022 तक प्रभावी था, लेकिन रकम लगभग 40 दिन पूर्व ट्रान्सफर कर दी गयी। इस प्रकार से अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा जानबूझर एक दूषिम मंशा से प्रार्थी को हानि पहुॅचाने से कूटरचित दस्तावेज रचकर उसका उपयोग प्रार्थी के विरुद्ध किया गया, जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी की रिपोर्ट लिखी जानी आवश्यक है। दिनांक 09.08.2022 को अपराध संख्या 213/2022 धारा 419,420,467,468,471,120बी भा0दं0सं0 के अन्तर्गत पंजीकृत कर प्रकरण में अन्वेषण आरम्भ हुआ। प्रश्नगत मामले में विवेचनाधिकारी ने तथ्यों के आलोक में दौरान विवेचना दृश्यमान परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उन महत्वपूर्ण पहलुओं की जानबूझकर अनदेखी की है, जो स्पष्ट तौर पर मामले के गुणावगुण के आधार पर निष्कर्षित मत प्रकट करने हेतु न्याय की दृष्टि से अति आवश्यक होने के साथ–साथ विधि के सिद्धांतों के अनुकूल थे। आवेदक ने विवेचनाधिकारी को दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 161 के अधीन दिये गये बयान में अभियोजन कथानक का भली–भांति समर्थन किया है, लेकिन विवेचनाधिकारी द्वारा न्यायसंगत सम्यक् विचार नहीं किया और तथ्यों के आलोक में विपरीत मत प्रकट करते हुए अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की है, जो निरस्त होने योग्य है। प्रश्नगत प्रकरण में विवेचनाधिकारी द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का विधि की मंशा के अनुरुप मूल्यांकन करते असफल रहा है, जिसकी पुष्टि अन्वेषण के दौरान विवेचनाधिकारी द्वारा निष्कर्षित मत से हो रही है। विवेचनाधिकारी द्वारा प्रत्यक्षतः दोषपूर्ण आलोच्य निष्कर्षित मत गलत, त्रुटिपूर्ण विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के अनुकूल न होने के कारण तथा प्रत्यक्ष अवैधानिकता से ग्रस्त होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। विवेचनाधिकारी द्वारा प्रत्यक्षतः दोषपूर्ण आलोच्य निष्कर्षित मत व्यक्त करने में विवेकाधिकार का प्रयोग अनुचित व मनमाने ढंग से किया गया है, जिसके फलस्वरुप ही तात्विक असंगतियों, परस्पर विरोध और लोपों से ग्रसित होने के कारण विधि के आलोक में संधारणीय न होने के कारण अन्तिम रिपोर्ट निरस्त होने योग्य है। यह भी उल्लेखनीय है कि विवेचनाधिकारी द्वारा प्रत्यक्षतः दोषपूर्ण आलोच्य निष्कर्षित मत पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यात्मक पहलुओं पर विवेचनाधिकारी द्वारा व्यक्त निष्कर्षित मत में किसी प्रकार का न्यायोचितपूर्ण विमर्श न करना स्वयं में इस सम्भावना को प्रबल

करता है कि विवेचनाधिकारी द्वारा विवेचना के दायित्वों का निष्पक्षतापूर्ण दायित्वों का अनुपालन नहीं किया गया है, जिसके फलस्वरुप प्रत्यक्षतः दोषपूर्ण आलोच्य निष्कर्षित मत एफ0आर0 निरस्त होने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अन्वेषण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट अस्वीकृत कर विचारण हेतु अभियुक्तगण को समन किये जाने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

सुना तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विवेचक द्वारा सरसरी तौर पर विवेचना करके अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है। विवेचक द्वारा इस तथ्य को पूर्ण रुप से नजर अन्दाज/दरकिनार किया गया है कि अभियुक्त अशोक कुमार गुप्ता द्वारा दिनांक 15.04.2014 को बजरिये पंजीकृत मुख्तारनामा कथित फर्म का संचालन व सम्पूर्ण अधिकार प्रार्थी/वादी को सौंप दिये थे। विवेचक द्वारा इस तथ्य को भी नजर अन्दाज किया गया है कि उक्त पंजीकृत मुख्तारनामा दिनांकि 15.04.2014 के पैरा 1 में स्पष्ट अंकित है ''परन्तु खाता में धन जमा करने निकालने हेतु और व्यवसाय से सम्बन्धित सभी पैसा जमा व निर्गत होगा उसको निकालने का पूर्ण अधिकार श्री उमेश कुमार गुप्ता को ही होगा और ऐसे निकाले गये धन का उत्तर दायित्व उनका होगा।'' उपरोक्त तथ्यों से प्रतीत होता है कि कथित फर्म के बैंक खाते से सम्बन्धित सभी ट्रानजैक्शन का अधिकार मुख्तारनामा वैध रहने तक प्रार्थी/वादी को दिया गया था। यह बात भी उल्लेखनीय है कि उक्त मुख्तारनामा अभियुक्त द्वारा दिनांक 31.03.2023 को निरस्त कराया गया है। जिसकी प्रति विवेचक द्वारा पुलिस प्रपत्रों के साथ संलग्न की गयी है। उक्त मुख्तारनामा निरस्तीकरण लेखपत्र की प्रति के पेज संख्या 3 में स्पष्ट रुप से अंकित है कि ''..... आज की तारीख से दिनांक 15.04.2014 किये गये मुख्तारनामा (अधिकार पत्र) को भंग/निरस्त करता हूँ तथा समस्त हक व अधिकार वापस लेकर अपने में सुरक्षित करता हूँ एवं पेज 4 पर अंकित है कि ..... आज की तिथि से उक्त श्री उमेश कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 बाबूराम गुप्ता निवासी 75 आर्यनगर बिधूना, तहसील बिधूना, जनपद औरैया के समस्त अधिकार भंग हुए।''

उपरोक्त समस्त तथ्यों से विदित होता है कि दिनांक 31.03.2022 से पूर्व कथित मुख्तारनामा बहक प्रार्थी/वादी प्रभाव में था व उक्त मुख्तारनामे के अनुसार फर्म के बैंक खाते का ट्रान्जैक्शन का अधिकार भी केवल वादी/प्रार्थी के पास था। जबकि दिनांक 31.03.2022 से पूर्व बिना वादी की अनुमति के उक्त फर्म के बैंक अकाउन्ट से दिनांक 14.02.2022 व 28.02.2022 को पैसे का आदान–प्रदान अभियुक्तगण के द्वारा किया गया है। विवेचक द्वारा एक कथित व्हाट्सएप की चैट की प्रति दाखिल की गयी है। जिसके सम्बन्ध में विवेचक द्वारा अपनी अन्तिम रिपोर्ट में कथन किया गया है कि उक्त मैसेज प्रार्थी/वादी द्वारा अभियुक्त अशोक कुमार गुप्ता को किया गया। कथित मैसेज की प्रति का अवलोकन किया गया। मैसेज में केवल यह अंकित है कि ''भाई साहब पम्प के अकाउन्ट में 11 लाख हैं। कम्पनी में 9,70,000/–रुपये का आर.टी.जी.एस. कर दें।'' कथित मैसेज वादी द्वारा भेजा गया या नहीं। यह एक साक्ष्य का विषय है। विवेचक द्वारा केस डायरी में यह भी नहीं बताया गया है कि उन्हें यह कैसे ज्ञात हुआ कि कथित मैसेज वादी द्वारा ही भेजा गया है। कथित मैसेज की दाखिल प्रति के सम्बन्ध में विवेचक द्वारा धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का अनुपालन भी नहीं किया गया है।

न्यायालय द्वारा केस डायरी, दाखिल प्रपत्रों व मुख्तारनामा का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि वादी मुकदमा के साक्षियों, मुख्तारनामा, स्टेटमेण्ट सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा ऐरवाकटरा, व्हाट्सएप मैसिज व बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 से स्पष्ट है कि विवेचक द्वारा दौरान विवेचना अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों को दरकिनार कर अन्तिम रिपोर्ट दाखिल की गयी है। वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत प्रोटेस्ट पिटीशन प्रार्थना पत्र का0सं0 10ख, अन्तिम रिपोर्ट, मुख्तारनामा व सी0डी0 के अवलोकन के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विवेचनाधिकारी द्वारा प्रेषित अन्तिम आख्या निरस्त किये जाने योग्य है तथा थाना पुलिस द्वारा उपरोक्त प्रकरण की पुनः विवेचना किया जाना न्यायसंगत है।

<u>आदेश</u>

पुलिस थाना ऐरवाकटरा द्वारा मु0अ0सं0 213/2022 अन्तर्गत धारा 419,420,467,468,471,120बी भा0दं0सं0 में प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट संख्या 039/2022 खारिज की जाती है। थानाध्यक्ष ऐरवाकटरा, जिला औरैया को आदेशित किया जाता है कि वह इस मामले में पुनः विवेचना कराकर अपनी अनुपालन आख्या इस न्यायालय में दिनांक 06.07.2023 तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(शमसुल रहमान)
अपर सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0,
बिधूना, औरैया।
J.O. Code No. UP 3475

दिनांक 13.06.2022